कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0 प्र0 लखनऊ।
परिपत्रांक सी-63 /विधि-निर्वा0/ दिनांक : लखनऊ : 26 जुलाई, 2021

1-समस्त मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/
संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता उत्तर प्रदेश।

2-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता उत्तर प्रदेश।

विषय :- कृषि उत्पादन संगठन के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-35/2020/1899/12-2-2020-1/ 2019 टी0सी0, कृषि अनुभाग-2, दिनांक 29.9.2020 जो प्रदेश में कृषक उत्पादन संगठन के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु उ0प्र0 कृषि उत्पादन संगठन निति 2020 निर्गत किये जाने विषयक है, उ0प्र0 शासन कृषि अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04.11.2020 जो कृषक उत्पादन संगठनों एवं उसके क्रिया कलापों की समीक्षा हेतु परियोजन के गठन विषयक है तथा कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-05/2021/222/12-2-2021-1/2019 टी0सी0-1, कृषि अनुभाग-2 दिनांक 15.01.2021 जो उ0प्र0 कृषक उत्पादन संगठन (एफ0पी0ओ0) निति 2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश विषयक है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासनदेश सं0-35/2020/1899/12-2-2020-1/ 2019 टी0सी0, कृषि अनुभाग-2, दिनांक 29.9.2020 के प्रस्तर सं0-2 का संदर्भ लें जिसमें उल्लेख है कि कृषक उत्पादन संगठन, कम्पनी अधिनियम, 1956 के "भाग-9 क" (यथासंशोधित 2013) अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1956 (यथासंशोधित) के अधीन पंजीकृत ऐसा व्यवसायिक निकाय है, जिसमें कृषक/प्राथमिक उत्पादक अथवा उनके समूह संगठित होकर कृषि एव सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु आवश्यक निवेशों की व्यवस्था व नवीनतम तकनीकी प्रयोग से लेकर उपने उत्पादों के भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक की समस्त व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन एवं अपने सदस्य कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं।

इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-4 में निम्न व्यवस्था है:-

"**धारा-4, समितियाँ जो निबन्धित की जा सकती हैं.-** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य-संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गयी हो, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित की जा सकती है।"

स्पष्टीकरण.- सहकारी सिद्धान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे-

(क) लोक सदाचार शिष्टता तथा भारत के संविधान में प्रतिपादित राज्य की नीति के संगत निदेशक तत्वों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हित की उन्नति;

(ख) लाभ की भावना को विनियमित तथा निर्बन्धित करना;

(ग) मितव्ययिता, पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन को बढाना;

(घ) स्वैच्छिक सदस्यता; और

(ड.) समिति का लोकतांत्रिक संघटन;

कार्यालय पत्रांक-111-12/कम्प्यूटर सेल/ दिनांक 17.12.2020 एवं पत्रांक 118/कम्प्यूटर सेल/ दिनांक 19.01.2021 के द्वारा समितियों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत कर दिये गये है। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाइट cooperativeup.gov.in पर ई-पोर्टल society.uphq.in एवं up.gov.in पर समस्त प्रक्रिया तथा मॉडल बाइलाज की प्रति उपलब्ध है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में प्रदेश में कृषक उत्पादन संगठन के पंजीकरण एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली-1968 में निहित

प्राविधानों के अन्तर्गत जो कृषक उत्पादन संगठन निबन्धन कराते हैं उनके निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर निर्धारित 90 दिन के भीतर निर्णय लेना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

(बी0एल0 मीणा)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0
लखनऊ।

परिपत्रांक /विधि–निर्वा0/ दिनांक : लखनऊ : जुलाई, 2021

प्रतिलिपि :–अधोलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादक आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   कृषि विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग/दुग्ध विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/रेशम विभाग/पशुपालन विभाग/मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग/कृषि विपणन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष,
   कृषि विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग/दुग्ध विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/रेशम विभाग/पशुपालन विभाग/मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग/कृषि विपणन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन0सी0डी0सी0), नई दिल्ली।
9. प्रबन्ध निदेशक, नाबार्ड, मुम्बई।
10. प्रबन्ध निदेशक, स्माल फार्मर्स एग्रिबिजनेस कन्सोर्सियम (एस0एफ0ए0सी0), नई दिल्ली।
11. प्रबन्ध निदेशक, इफको, नई दिल्ली।
12. प्रबन्ध निदेशक, कृभको, गौतमबुद्धनगर।
13. संयोजन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एल0एल0बी0सी0), लखनऊ।
14. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न लाइन विभाग कृषि विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग/दुग्ध विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/रेशम विभाग/पशुपालन विभाग/मत्स्य विभाग/सहकारिता विभाग/कृषि विपणन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0।
15. समस्त जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड, उ0प्र0।
16. समस्त जिला लीड बैंक (एल0डी0एम0) उ0प्र0।
17. गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र कुमार)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (विधि–निर्वा0)
सहकारिता, उ0प्र0
लखनऊ।